Reg No 177/2008-2009 ISSN: 2322–0317

PSSH PERSPECTIVE of SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 201

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

समावेशी विकास और गाँधीवादी दृष्टि

डॉ० हेमेन्द्र सिंह[9]

समावेशी विकास, विकास की प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गो, समूहों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है। विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समूह स्वतन्त्र रूप से बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के, विकास की प्रक्रिया में समावेशित होते हैं।

इसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम व्यक्ति को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाकर, लाभ पहुँचाना है। लेकिन समावेशी विकास में लाभों के वितरण पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि सुरक्षा, सशक्तीकरण, विकास में पूर्ण सहभागिता जैसे कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है। विकास के साथ–साथ सामाजिक अवसरों की समानता हो।

इसमें एक ओर भौतिक संसाधनों के वितरण में समानता का आदर्श निहित है वहीं नैतिक समानता की मानवीय दृष्टि भी है अतः अपने विस्तृत आकार में समावेशी विकास सामाजिक न्याय की अवधारणा को पोषित करता है।

राज्य एवं समाज के वंचित वर्गो के सशक्तिकरण तथा उनके सम्बन्धों को गैर श्रेणी बद्ध और समान रूप से पुनर्गठित करने के उद्देश्य से उन्हे लक्षित किया जाता है। इसीलिए क्रियान्वयन के स्तर पर समावेशी विकास को राजकीय नीतियों की ओर उन्मुख होना पड़ता है।

विगत कई वर्षों से इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता रहा है। 2007 में एशियन डेवलपमेण्ट बैंक के एक सम्मेलन ''फोरम ऑन इन्क्लूसिव ग्रोथ एण्ड पावर्टी रिडक्शन'' में इसकी चर्चा की गई। भारत में 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।

भारत में ग्रामीण व शहरी गरीब, लद्यु कृषक, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन तथा वे लोग लक्षित वर्ग के रूप में रहे हैं जो अभी तक आर्थिक विकास की सामान्य प्रक्रिया अथवा बाजार व्यवस्था पर आधारित विकास की सामान्य प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में नेहरू के समाजवादी विकास माडल में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आधारभूत ढ़ांचे के विकास हेतु बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के विकास पर जोर दिया गया, लद्युउद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्र वरीयता में पीछे छूट गये लेकिन फिर भी योजनाओं के दौरान विकास

[9] असिस्टेण्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राम स्वरूप ग्राम उद्योग पी०जी० कॉलेज, पुखरायाँ-कानपुर देहात

को समावेशी बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए औद्योगिक विकास के साथ भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहन जैसे कार्य किये गये।

भारत की विकास रणनीति में क्रांन्तिकारी परिवर्तन 1990 के दशक में किया गया जब तीव्र आर्थिक संवृद्धि को ध्यान में रखकर आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। नेहरूवादी माडल को पलट दिया गया, निजीकरण की शुरूआत कर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकृत किया गया।

मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित नव उदारवादी नीतियों ने पिछले दो दशकों में आर्थिक विकास दर में तीव्र वृद्धि की। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है लेकिन मानव आबादी के सबसे निचले हिस्सें की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उदारीकरण ने सिर्फ मुनाफा आधारित व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें सामाजिक सरोकार लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं। श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा उपबन्धों में परिवर्तन के चलते गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। विकास का नव उदारवादी माडल रोजगार विहीन, शहर केन्द्रित सार्वजनिक संसाधनों की लूट पर आधारित कारपोरेट निर्देशित विकास है।(1)

ग्रामीण क्षेत्र में जीविका, मूल भूत सुविधाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में स्वास्थ्य, महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों और कमजोर वर्ग से सम्बद्ध योजनाओं की प्रगति संतोष जनक नहीं है। समावेशी विकास के नाम पर अधिकार एप्रोच या 'Policy of Entitlement' का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन मनरेगा, शिक्षा का अधिकार खाद्य सुरक्षा आदि, मूल अधिकारों का मजाक भर हैं। वहीं कारपोरेट जगत दिखावे के तौर पर 'कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी'(Corporate Social Responsibility) की बात कर रहा है।

असंतुलित विकास की रणनीति ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया है नक्सलवाद जैसी समस्यायें पैदा हुई हैं केन्द्र से लेकर पंचायतों तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जातीय, साम्प्रदायिक दुराग्रहों से अपराध बढ़ रहे हैं, जन आंदोलनों का दौर है। कथित समृद्धि के समक्ष देश की आधी आबादी पेट भर भोजन के साधन जुटाने के लिए मोहताज है।

ऐसे में यह देखना जरूरी है कि विकास की कोई भी संरचना प्रशासनिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय लिहाज से सटीक है कि नहीं और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान में कितना कारगर है। विकास के क्षेत्रीय असंतुलन के कारण ही आज भारत के कई राज्यों में विकास के अपने–अपने माडलों की चर्चा हो रही है। विकास के इस दौड़ में देश के उस भाग को पीछे छोड़ दिया गया है जिसे गांधी ने असली भारत कहा था ऐसे में समावेशी विकास को ध्यान में रखकर गांधी चिंतन की उपादेयता पर विचार किया जा सकता है।

गांधी ने औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल तथा अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होगी और कच्चें माल तथा बड़े बाजारों की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद को जन्म देगी।

औद्योगीकरण के पाश्चात्य स्वरूप में जीवन के उपभोगी और भौतिक स्तर में वृद्धि पर जोर देकर इस स्तर की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा था। गांधी ने अंधाधुंध मशीनीकरण के प्रति आगाह किया था क्योंकि यह तकनीकी, ऐसे स्रोतों पर आधारित थी जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता था।

देखा जाय तो वैश्वीकरण के इस दौर में नव उपनिवेशवाद तथा उपभोक्तावादी जीवन शैली पर्यावरणीय विसंगति के साथ मौजूद है। गांधी के लिए विमर्श का मुद्दा यह नहीं था कि भारत को तकनीक की जरूरत है या नहीं वरन् उनके लिए मुद्दा था, भारतीय जरूरतों के अनुरूप तकनीक (2) उन्होने कहा कि मशीनों के प्रति आकर्षण से मनुष्य की पुरानी जीवन पद्धति में बदलाव आया है लेकिन श्रम बचाने वाली मशीनें तभी तक ठीक हैं जब प्रत्येक व्यक्ति के पास समुचित जीविका कमाने और रचनात्मक कार्य करने के साधन हों। गाँधी शायद पिछली सदी के पहले व्यक्ति थे जिन्होने तकनीकी प्रगति के व्यापक व गहरे निहितार्थों को गहराई से समझा था। इसी तरह गांधी वैज्ञानिक प्रगति के विरोधी नहीं थे उन्होने विज्ञान के उस आयाम को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें इसकी उपयोगिता का मानव समाज व प्रकृति के बहुआयामी सम्बन्धों के परिप्रेश्य में मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। गांधी ने कहा ''आधुनिक सभ्यता की निन्दा करने का साहस मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके मर्म को बुराई की जड़ मानता हूँ। यद्यपि यह संभव है कि इसके कुछ अंशों को अच्छा दिखा दिया जाय लेकिन मैंने इसकी प्रकृति की जांच पड़ताल नैतिकता के आइने में की है''(3)

गांधी ने पूँजीवाद की आलोचना की क्योंकि इसमें दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है वे पूँजी के एकत्रीकरण को अनैतिक मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक एकत्रित करता है वह चोरी करता है क्योंकि ऐसा करके वह दूसरों को इससे वंचित करता है। पूँजीवादी एवं समष्टिवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए ही गांधी ने एक नये सिद्धान्त की खोज ट्रस्टीशिप के रूप में की। ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त, एकत्रित किये हुए या अपनी आवश्यकताओं से अधिक कमाये हुए धन पर लागू होता है। इस सिद्धान्त में निजी सम्पत्ति के अधिकार को वहां तक स्वीकार किया गया है जहां तक वह व्यक्ति के नैतिक बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। पूंजीपति अपनी आवश्कता से अधिक सम्पत्ति का ट्रस्टी मात्र है। इस सम्पत्ति का प्रयोग समाज के लिए किया जायेगा। ट्रस्टीशिप के द्वारा वे पूँजी पति को समाप्त किये बिना पूँजीवाद की बुराईयों का अन्त करना चाहते थे (4) इससे वर्ग संघर्ष की सम्भावना कम होगी और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से श्रम और पूंजी के सम्बन्धों में ताल मेल हो जायगा। (5)

आज भी 70 प्रतिशत भारत गांवो में बसता है आधुनिक विकास रणनीति में पारम्परिक ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग को उपेक्षित कर दिया गया है जिस उद्योग पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। रोजगार छिनने से लोग

शहरों में पलापन कर रहे हैं, समृद्धि एक तरफा हो रही है किसानों की जमीनें उद्योगपति खरीदकर उन्हें जमीन से बेदखल कर रहे हैं। आज का भारत खाद्य तेल एवं दलहन के लिए विदेशों पर निर्भर हो गया है भूण्डलीकरण ने हमारी खेती किसानी और खाद्य सुरक्षा का क्या हाल किया है यह किसी से छिपा नहीं है।

योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार 2005–2009 के बीच जब आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक थी, 140 लाख लोग खेती छोड़ने को मजबूर हुए, विनिर्माण क्षेत्र में 53 लाख लोग नौकरी गवां बैठे यानि विकास दर बढ़ने के साथ ही रोजगार में कमी आई।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य यह भी स्पष्ट करता है कि उत्पादन की इस प्रणाली में पूंजी ने श्रम पर निर्णायक विजय प्राप्त कर श्रम को पूंजी के पूर्णतः अधीन कर लिया है और पूंजी प्रधान उद्योगो ने वैश्वीकरण का फायदा अपने हित में करके शोषणकारी प्रवृत्ति को जन्म दिया है ऐसी स्थिति में गांधी के विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के विकल्प पर विचार करने की जरूरत है। (6)

गांधी के स्वदेशी का अर्थ था, विकेन्द्रीकृत अर्थ व्यवस्था, ग्राम और स्थानीय सामुदायिक विकास, सबको रोजगार और स्वावलम्बन जिसमें स्थानीय आत्मनिर्भरता एवं सहभागिता सुनिश्चित होती है। यह एक ऐसा रचनात्मक अनुप्रयोग था जिसमें संसाधनों का महत्तम उपयोग जनकल्याण या अर्थ पूर्ण ढंग से किया जा सकता था। गांवो को विकास की इकाई बनाना चाहते थे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर ग्राम समाजों के अधिक से अधिक महत्व के हिमायती थे। वास्तव में गांधी समावेशी लोकतन्त्र के आदर्शवादी भावना के वशीभूत होकर ही ग्राम स्वराज की वकालत करते हैं (7)

गांधी का कहना है कि स्वराज की कुंजी आर्थिक समानता है। अमीर गरीब पूंजी एवं श्रम के बीच असमानता को समाप्त किये बिना समाज से किसी के लिए भी वास्तविक स्वत्रन्ता की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। मानव की पूर्ण शक्ति का उपयोग एवं विकास होना चाहिए अर्थात श्रम बेकार न पड़ा रहे उन्होने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'रोटी के लिए श्रम' के सिद्धान्त का समर्थन किया उन्होने कहा ''प्रत्येक आदमी को अपने जीविकोपार्जन के लिए श्रम करना चाहिए'' (8) इस सिद्धान्त के द्वारा वे निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते थे–

- सभी श्रम करेंगे तो ऊँच–नीच के भेद नहीं रहेंगे, असमानता दूर होगी।
- श्रम से शरीर पुष्ट होगा, रोग कम होंगे।
- निष्क्रियता एवं आलस्य नहीं होगा।
- आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होगी।
- शोषण कम होगा, चहुंमुखी विकास होगा आदि।

बाजारवादी नीतियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चलते कृषि में रसायनिक उरर्वकों, पेटेन्ट बीजों, तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जिसके कारण पारम्परिक कृषि और कृषकों की स्थिति बदतर हुई है। उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। कपड़ा उद्योग को हर वर्ष करोड़ों रूपये

दिये जा रहे हैं। लेकिन इन्ही मिलों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाले कपास किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

गांधी चाहते थे कि आर्थिक नीतियां मानवता की बलि देकर न बनायी जांच अर्थात अर्थशास्त्र का भी नैतिक मापदण्ड हो। किसानों को ध्यान में रखते हुए गांधी ने कहा था ''हमारी जनसंख्या के 75 प्रतिशत से अधिक लोग खेतिहर हैं लेकिन अगर हम उन्हें उनके श्रम के लगभग पूरे प्रतिफल से वंचित कर देते हैं या किसी और लोगों को ऐसा करने देते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे अंदर स्वशासन की कोई उल्लखनीय भावना विद्यमान है।(9) गांधी ने सहकारी कृषि, जैविक खादो का प्रयोग, पशुपालन पर जोर दिया तथा वन प्रबन्धन का समर्थन किया। आज कृषि में दलहन, डेयरी उद्योग तथा खाद्यान्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की जरूरत है जो भारत की वर्तमान बढ़ती आबादी के लिए उपयुक्त होगी। गुजरात में अमूल जैसा कोऑपरेटिव प्रयास दुनिया के लिए नजीर है। आज देश में युवाओं की आबादी अधिक है ऐसा नहीं है कि इनकी क्षमता के दोहन के लिए अवसर नहीं है कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में इनकी क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकता है यह सामान्य भ्रान्ति है कि शिक्षित युवाओं के लिए किसानी नहीं है(10)।

समावेशन की अवधारणा को गांधी के सर्वोदय सम्बन्धी धारणा में स्पष्ट देखा जा सकता है गांधी ने कहा '' सच्चा अर्थशास्त्र, सामाजिक न्याय के लिए होता है। यह सबसे कमजोर सहित सभी की समान रूप से भलाई करता है और सुन्दर जीवन के लिए अपरिहार्य है।'' (11)

सर्वोदय को ही दृष्टिगत करते हुए उन्होने कहा '' हमारा समाजवाद अथवा साम्यवाद अंहिसा पर तथा श्रम एवं पूंजी एवं जमीदार और काश्तकार के बीच सामंजस्य पूर्ण सहयोग पर आधारित होना चाहिए।(12)

गांवों की समस्यायें शहरों से भिन्न हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आधार भूत संरचना तैयार करना जिसमें सड़क, स्वास्थ्य सेवायें, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा आदि क्षेत्र मे विशेष प्रयास हेतु आर्थिक विकास की धारा को इस ओर मोड़ना, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निवेश में वृद्वि करना, गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर बनाना, गरीब ग्रामीणों को आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। हर ग्रामीण क्षेत्र की अपनी विशिष्ट आवश्यकतायें एवं लक्ष्य होने चाहिए। मगर आज की विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को भागीदारी विकास से अलग किया जा रहा है। बिना भागीदारी नियोजन के, किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से समावेशी विकास संभव नहीं होता।

सरकार आज खाद्य सुरक्षा की बात तो करती है पर गुणात्मक शिक्षा एवं रोजगार नहीं देना चाहती जिससे वे स्वयं अपने संसाधनों से अपना सशक्तीकरण कर सकें, यह गांधीवादी माडल में उपलब्ध है। गांधीवाद में प्राकृतिक रूप से पास पडोस में उपलब्ध सामग्री को आधार बनाकर आजीविका और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया है बजाय इसके कि दुनियाभर

से वस्तुए मंगाकर एक मुक्त बाजार के लिए संघर्ष करना जो कभी भी निष्पक्ष व्यापार का रूप नहीं ले पाता। प्रसिद्व गांधीवादी कार्यकर्ता इलाभट्ट एक उदाहरण में कहती हैं कि खाद्यान्न स्थानीय स्तर पर उपजाये जाते हैं और स्थानीय स्तर पर ही खाने लायक बनाया जाता है। लेकिन जब खाद्यान्न आयात होता है तो श्रमिको को न तो अपनी मेहनत का फल मिलता है और न ही फायदा। ऐसे में कोई समुदाय अपने खाद्यान्न, कपड़ों व आवास को लेकर आत्मनिर्भर हो जाये तो वह स्वायतता के सुख को भोग सकता है। लेकिन जब उसके खाद्यान्न बेच दिये जायेगें, जब प्रौद्योगिकी केन्द्रीकृत होगी, जब आवास के लिए दूसरों की हाउजिंग पॉलसी होगी तो समुदाय ही नहीं व्यक्ति भी अपनी स्वतन्त्रता खो देता है।(13)

विकेन्द्रीकरण के प्रतीक पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सबसे पिछड़े वर्ग को सार्वजनिक माल और सेवायें कुशलता के साथ पहुंचाना था पर नौकरशाही के हस्तक्षेप के चलते सेवाओं की सुपुर्दगी व्यवस्था विफल हो गयी। आर्थिक मोर्चे पर कुछ समावेशी उपायों में मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन्दिरा आवास योजना जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, गांधी इस प्रकार के रोजगार गारण्टी और खैरात के कार्यक्रमों को कभी अनुमोदित नहीं करते जिसमें गरीबों बेरोजगारों को भीख मांगनी पड़ती है। काम तथा अन्य निःशुल्क सुविधाओं के लिए भ्रष्ट प्रणालियों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। गुजरात जैसे राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी योजनायें राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का मजाक हैं(14)

पंचायती राज का आर्थिक स्रोत पंचायत के माध्यम से हो न कि बाहर से। पंचायत में बाहरी पैसे के कारण कमीशनखोरी और घोटालेबाजी हो रही है (15) आज जरूरत इस बात की है कि पंचायत निकायों को कानूनी रूप से सुपरविजन की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्तीकृत किया जाय और इस बात में सामुदायिक जरूरतों की झलक हो। संविधान की 11 वीं अनुसूची में निहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाओं पर अमल किया जाय जब तक भागीदारी विकास पर पर आधारित समावेशी सुशासन हकीकत न बन जाय।

दुनियां में मानव विकास सूचकांक के माध्यम से जो विकास का पैमाना तय किया जा रहा है उसकी केन्द्र में मनुष्य को रखा जा रहा है, गांधीवादी चिंतन में मनुष्य को शुरू से ही केन्द्र में रखकर विकास को आंकने का संदेश दिया गया है। अब जरूरत है मनुष्य केन्द्रित सोच बने।

इस समय देश में छोटे उद्योगों की तकरीबन एक करोड़ बीस लाख इकाईयां कार्यरत हैं और इनमें लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। औद्योगिक उत्पादन में 45 प्रतिशत तथा निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान है पर एक तिहाई इकाईयां बीमार हैं। अक्टूबर 2012 में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उद्योगों के लिए सहूलियत के मामले में भारत 185 देशों की सूची में बहुत पीछे 132 वें क्रम पर है। तुषार गांधी कहते हैं 'ग्रामोद्योग, छोटे– छोटे व्यापरियों का क्या होगा जब रिटेल को आमन्त्रित किया जा रहा है पूरी व्यवस्था आम आदमी को कन्ज्यूमर बनाने पर तुली है प्रोडयूशर नहीं बनने दे रही है (16) छोटे उद्योगों का देश के विकास दर एवं

रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है गांधी लघु उद्यमों के हिमायती थे जो श्रम को खपा सकता है।

पहले से चली आ रही औद्योगिक नीति में संगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावना कम थी उदारीकरण के बाद इसके अनुपात में और कमी आई है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावनायें अधिक हैं, जो लद्युउद्यमों पर निर्भर हैं अतः असंगठित क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2004 में अपनी सिफारिश में असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ाने तथा कौशल विकास पर जोर दिया है। गांधी इन बातों पर पहले से ही जोर दे रहे थे। खादी का अर्थशास्त्र आलस्य बेकारी की समस्या का तत्काल और स्थाई हल था यह कृषि का पूरक है क्योंकि यह अन्य कुटीर उद्योगो का विकास कर सकता है। उन्होनें खादी के द्वारा ग्राम स्वराज्य की विचार धारा प्रस्तुत की थी खादी के रचनात्मक कार्यक्रम से उनका उद्देश्य सभी लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता का आरम्भ करना था, एक ऐसी वृत्ति जो जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति से जुड़ा था और उनके बंटवारे का विकेन्द्रीकरण भी था। रोजगार उपलब्ध करने के लिए खादी एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए गांधी ने देश व्यापी अभियान चलाया।

महिला सशक्तीकरण के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। यद्यपि महिला विकास एवं नारी चेतना के चलते भारत में महिलाओं की स्थिति में, विशेषकर शहरों में सुधार हुआ है। असंगठित क्षेत्र में महिलायें उत्पादक कार्यो में लगी हैं जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हैं मगर वे शोषण की शिकार हैं।

गांधी ने महिला शिक्षा तथा आर्थिकरूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव दिया था। स्त्री पुरूष के विषय में कार्यगत विशिष्टता में विश्वास करते हुए सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी के पक्षधर थे। जीवन की योजना में जितना अधिकार पुरूष को अपने भविष्य को बनाने का है उतना ही वैसा अधिकार स्त्री को भी हो इस कार्य के लिए ही कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की गयी जो आज भी देश भर में स्त्रियों के सर्वांगींण विकास के काम में कार्यरत है। देश में सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी योजना जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं पर प्रगति असंतोषजनक है।

गांधी ने माना था कि जब तक 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाती तब तक निरक्षरता दूर नहीं होगी वे इसे निःशुल्क बनाने के पक्ष में थे, शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो, उद्योग केन्द्रित शिक्षा हो जो स्वावलम्बी बनाये। गांधी ने शिक्षा के दौरान ही शिल्प एवं उद्योग की शिक्षा देने का समर्थन किया। वे नई तालीम के समर्थक थे उन्होने कहा '' शिल्प एवं उद्योग को शिक्षा से भिन्न मानने के बजाय मैं उन्हें शिक्षा का माध्यम मानता हूँ (17) बौद्धिक ज्ञान के साथ–साथ शारीरिक विकास का भी ध्यान देना जरूरी है साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी उद्योग में निपुण होकर अपनी जीविका

चलाने में सक्षम हो जाये। नई तालीम के विस्तार के लिए ही उन्होने तालीमी संघ की स्थापना की थी। भारत में श्रम की प्रचुरता तथा इसके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास में योगदान को ध्यान में रखकर देखा जाय तो गांधी के सुझाव बेहद कारगर हैं।

दलितों वंचितों अनुसूचित जातियों की बड़ी आबादी आज भी विकास की मुख्यधारा से कटी हुई है 2011 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भुखमरी एवं कुपोषण के सबसे ज्यादे शिकार दलित लोगों के बीच हैं अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं। गांधी के रामराज में बराबरी की व्यवस्था इस अंतिम आदमी के लिए है। 22 जुलाई 1946 के हरिजन पत्रिका में गाधी ने लिखा कि'' स्वत्रन्ता की शुरूआत समाज के निचले तब के से होनी चाहिए''(18)। अस्पृश्यता के निवारण कार्य को व्यापक बनाने के लिए ही गांधी ने हरिजन सेवक संघ नाम की संस्था का निर्माण किया।

अपने संसाधनों की लूट, अपमान, गरीबी, विस्थापन का कष्ट झेलने वाले आदिवासी, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, केरल जैसे राज्यों में जंगल जमीन के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ, उड़ीसा का पास्को विरोध, सिंगूर, नंदीग्राम जैसे आंदोलन सत्याग्रह के गांधीवादी तरीके पर अंहिसा से प्रेरित रहे हैं, ये सभी समावेशी विकास की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। गांधी ने आदिवासी सेवा को एक प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम माना था, ठक्कर बापा जैसे उनके सहयोगी जीवन भर आदिवासी सेवा में लगे रहे।

आज बिगड़ते पर्यावरण की वजह, पूंजीपतियों के मुनाफा कमाने की न शमित होने वाली हवस से निर्देशित होने वाला विकास है। उपभोक्तावादी संस्कृति में मानवीय मूल्यों की अनदेखी कर केवल भौतिक सुखों की खोज हो रही है। गांधी के अनुसार '' धरती के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, परन्तु उसके लालच के लिए नहीं।'' (19) उन्होने अपरिग्रह पर जोर दिया था।

इसी तरह स्वास्थ्य पर गांधी ने विशेष ध्यान दिया। उन्होने कहा ''आपका पानी भोजन और वायु स्वच्छ होने चाहिए और आपको केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए बल्कि अपने चारो ओर भी वही त्रिविध स्वच्छता सुनिश्चित करनी चाहिए जैसा की आप स्वयं अपने लिए चाहते हैं (20)। वे स्वच्छता आहार व्यायाम पर ध्यान देकर शुचिता के माध्यम से रोगो से लड़ने का संदेश दे रहे थे। उनके अनुसार यदि समाज का संतुलित विकास करना है तो शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन बन्द करना जरूरी है, पिकेटिंग का प्रयोग गांधी ने इसके विरोध में किया था। आरोग्य के लिए गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जो शरीर मन दोनों को शुद्ध करता है। आज प्राकृतिक चिकित्सा व देशी चिकित्सा पद्धतियों को भुला दिया गया है, उन्होने सादा जीवन उच्च विचार पर जोर दिया उन्होने कहा जीवन की सादगी के अलावा अन्य किसी तरीके से मानव व्यक्तित्व की रक्षा नहीं की जा सकती हमे समाज के निम्नतम व्यक्ति के लिए वह सब करना चाहिए जो हम चाहते है कि दुनिया हमारे लिये करे (21)। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर आज जिस ैनेजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज

की बात की जा रही है देखा जाये तो गांधी ने पहले ही, विकास को प्रकृति के अनुरूप ढालने पर जोर दिया था।

आधुनिक समय मे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्मत्यसेन का अर्थशास्त्र, गरीबी अकाल भुखमरी तथा बुनियादी सामाजिक सेवाओं के संतुलित, समतापरक विकास पर आधारित है। इसके लिए विकास और पुर्ननिर्माण की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर तालमेल व समन्वय हो। यही समावेशी विकास है, जिसकी प्रेरणा गांधी दर्शन हमें पहले से देता रहा है।

संदर्भ

1. लेख, आनन्द प्रधानः हस्तक्षेप, राष्ट्रीय सहारा, 13 अप्रैल 2013।
2. गांधी एक अध्ययनः संपादिका सुरजीत कौर जौली, कॉनसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी दिल्ली पृष्ठ 60
3. सम्पूर्ण गांधी वाड्.मय, खण्ड 10 पृष्ठ 247।
4. उद्धत डॉ0 डी0 एस0 यादव आस्था प्रकाशन जयपुर 2012 पृष्ठ 198
5. वही पृष्ठ 197
6. झा, राकेश कुमार : गांधी चितंन में सर्वोदय, पोईन्टर पब्लिशर्स जोधपुर 1995 पृष्ठ 148।
7. लेख, नाम देव : योजना, अगस्त 2013 पृष्ठ 53।
8. एम0के0गांधीः फ्राम थॅरव दा मन्दिर अहमदावाद नवजीवन 1935 पृष्ठ 50
9. स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी : जी0ए0 नटेसन एड कम्पनी, मद्रास 1933।
10. लेख, अजित कुमार गांधीः योजना अगस्त 2013 पृष्ठ 48
11. गांधी : हरिजन, 9 अक्टूबर 1937।
12. अमृत बाजार पत्रिका 02.08.1934 (अंग्रेजी दैनिक कलकत्ता)
13. राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) 13 अप्रैल 2013
14. लेख, सुदर्शन अय्यर : योजना 2013 पृष्ठ 34।
15. शर्मा डॉ0 रामविलासः गांधी, अम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं। पृष्ठ 431
16. राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) 1 अक्टूबर 2011
17. गांधीः हरिजन, 10.11.1946 पृष्ठ 394।
18. गांधी : हरिजन 28.07.1946।
19. प्यारे लालः महात्मा गांधी द लास्ट फेज, भाग दो नवजीवन पब्लिशिंग हाउस 1956 पृष्ठ 552

20. कान्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम : इट्स मीनिंग एण्ड प्लेस, एम0के0गांधी नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदावाद 1941 संस्करण 1948, पृष्ठ 1819
21. गांधीः यंग इण्डिया, 17.11.1946 पृष्ठ 404।